SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL CODE, 1898

PROCEDUP

In the court of . कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जेएमएफसी गोहद

पकरण कमांक

66 /2018

Name and address of the complain मञ्जू शासन द्वारा पुलिस धाना गोहद जिला प्रशासन भिण्ड म०प०

name, parentage, caste and address of accused-

1 वीरू उर्फ वीरसिंह तोमर पुत्र रणवीर सिंह तोमर उम्र 38 वर्ष निवासी- नंदपुरा थाना पोरसा, जिला मुरैना म०प्र०

The offence complained of, and date of its alleged commission

तुम घटना दिनाक 30/03/18 के 1645 बजे नहर मोहल्ला पानी की टकी के पास गोहद में अपने आधिपत्य में 20 ववाटर देशी शराब विधि विरूद तरीके से बिना किसी आइप्ति के अवैध रूप से सग्रह कर विकय के आशय से रखे हुये पाये गये।

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य आबकारी अधिनियम की धारा 34 क अतर्गत दण्डनीय डोकर इस न्यायालय के संज्ञान में है। स्पष्ट करो अपराव स्वीकार है या विचारण चाहते हो।

The plea of the accused and bis examination [if any] - 10 to 19

काविक प्रतिकाट अपन कर्ष गोहत जिला- निग्ट (मप्र

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of theproperty in respect of whitch the offence has been committed

//निर्णय//

(आज दिनांक की की पारित किया गया)

- 1. अभियुक्त को आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनायी एवं समझायी जाने पर उसने अपराध करना स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार किया है आरोपी की स्वेच्छा स्वीकारोक्ति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है अतः उक्त स्वेच्छा स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्धि ठहरायां जाता है।
- 2. अभियुक्त के प्रथम अपराध होने एव प्रकरण के तथ्य व परिस्थितयों को देखते हुए उसे न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्ड अधिरूपित करने से ही न्याय के उददेश्यों से ही पूर्ति हो सकती हैं।
- 3. फलस्वरूप आरोपी को आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1800 /— रूपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिकम होने पर बीस दिवस के साधारण कारावास के दंड से दंडित किया जाता है।
- 4. प्रकरण में जप्तशुदा शराब उचित निराकरण हेतु आबकारी विभाग की ओर भेजी जावे

5. आरोपी स्वतंत्र हो।

स्थान_ागोहद दिनांक-07/05/18

निर्णय आज दिनांकित एव हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

7/5/18 11/5/18

(स्वीधका अवस्था) नाष्ट्रिएमपाठको मोहिट्यंण गोवव जिला-विवय (मे प